

:-आदेश:-

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल का वर्ष 2021 का द्वितीय सत्र दिनांक 17-08-2021 से आयोजित हो रहा है। शासन के अर्ध शा0प0 संख्या 912/11-3-2021-159/15टी0सी0 राज्य कर अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 16-08-2021 में दिये गये निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित विषयों के दृष्टिगत विधान सभा/विधान परिषद में चर्चा के लिये निर्धारित तिथि/समय पर विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है ताकि यदि किसी सूचना की आवश्यकता हो तो उसे तत्काल उपलब्ध कराया जा सके तथा सदन की कार्यवाही अविरल गति से चल सके।

सम्बन्धित विषयों के दृष्टिगत विधान सभा/विधान परिषद में चर्चा के लिये निर्धारित तिथि/समय पर विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है ताकि यदि किसी सूचना की आवश्यकता हो तो उसे तत्काल उपलब्ध कराया जा सके तथा सदन की कार्यवाही अविरल गति से चल सके।

2- उपरोक्तानुसार कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करने के लिये कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा निम्न प्रकार नोडल अधिकारी नामित किए गये हैं:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	विधान भवन का नाम	कार्यालय का पता	दूरभाष/ मो0नं0
1	श्री रवि राज प्रताप मल्ल, ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) वाणिज्य कर लखनऊ सम्भाग-ए लखनऊ	विधान सभा	कार्यालय एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 वाणिज्य कर लखनऊ जोन प्रथम लखनऊ	9415314162
2	श्री विजय प्रताप यादव, ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) वाणिज्य कर लखनऊ सम्भाग-सी लखनऊ।	विधान परिषद	कार्यालय एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 वाणिज्य कर लखनऊ जोन द्वितीय लखनऊ	7235001525

3- मा0विधान सभा / विधान परिषद सचिवालय द्वारा जो कार्य स्थगन / औचित्य के प्रश्न आदि से सम्बन्धित सूचनाएं / विषय से सम्बन्धित कर एवं निबन्धन विभाग की सूचनाओं का उत्तर उसी दिन नोडल अधिकारी को समयान्तर्गत उपलब्ध करायी जाये, ताकि उनके द्वारा सदन में शासन का पक्ष समुचित रूप से प्रस्तुत किया जा सके और शासन को सदन में असमजस की स्थिति का सामना न करना पड़े।

4- उपर्युक्त नोडल अधिकारी मा0विधान मण्डल के दोनों सदनों के प्रत्येक उपवेशन में समय पर पास बनवाकर सदन की अधिकारी दीर्घा में उपस्थित रहकर उपर्युक्त कार्य सम्पन्न करेंगे तथा जीरो डिले के आधार पर सूचना उपलब्ध करायेंगे और जिस दिन भी सम्बन्धित विभाग का कोई प्रश्न हो उसकी दूरभाष पर यदि कोई महत्वपूर्ण अथवा जो भी निर्णय हुआ हो, उसकी भी सूचना अपर मुख्य सचिव, राज्य कर उ0प्र0शासन एवं कमिशनर, वाणिज्य कर को देंगे।

5- मा0विधान मण्डल सत्र के दौरान लखनऊ से बाहर तथा मुख्यालय पर कोई बैठक आयोजित नहीं करेंगे तथा इस अवधि में कोई अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय से बाहर न जाये और यदि अपरिहार्य कारणों से बाहर जाना हो तो सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए जाने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़कर बाहर जायेंगे।

6- दोनो सदनों में विभागीय अधिकारी त्रुटिरहित सूचना उपलब्ध करायेंगे और जिस दिन भी संबंधित विभाग का कोई प्रश्न हो, उसकी दूरभाष पर सूचना अपर मुख्य सचिव, राज्य कर विभाग को देंगे ताकि अपर मुख्य सचिव, द्वारा उसी दिन मुख्य सचिव को अवगत कराया जा सके। विभागीय अधिकारियों का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि विधानमण्डल के दोनों सदनों में विधेयकों के प्रस्तुत होने की तिथि से पूर्व विचार एवं पारण हेतु नियत तिथि से पूर्व अपने विभागीय मंत्री जी, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी एवं मा0 नेता सदन, विधान परिषद को ब्रीफ कर दें ताकि किसी असुविधाजनक स्थिति का सामना न करना पड़े, और सदन में सरकार का पक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।

20/-
(मिनिस्ती एस0)

कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, राज्य कर (अनुभाग-3) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- विशेष सचिव राज्य कर 30प्र0 शासन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिकारियों के विधान सभा सचिवालय पास बनवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 3- समस्त एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 4- समस्त नोडल अधिकारियों को अनुपालनार्थ।
- 5- समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, 30प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अवधि में किसी अधिकारी/कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत न किया जाये न ही स्वीकृति हेतु मुख्यालय को संस्तुति की जाए।
- 6- समस्त अनुभाग प्रभारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
- 7- ज्वाइंट कमिशनर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर उक्त आदेश प्रदर्शित किये जाने हेतु।
- 7- डाटा इन्ट्री आपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) वाणिज्य कर मुख्यालय।

17/08/21
(राजेश प्रताप सिंह चन्देल)
ज्वाइंट कमिशनर, (स्थापना) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।